

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन  
(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

पटना, दिनांक 05-12-2017

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-विपत्र कोड-20-2210031100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹12,26,13,091/- (बारह करोड़ छब्बीस लाख तेरह हजार एकान्चे रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-17(7)ब दिनांक-15.05.17, 36(7)ब दिनांक-20.07.17, 57(7)ब दिनांक-07.09.17 एवं 77(7)ब दिनांक-25.09.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹12,26,13,091/- (बारह करोड़ छब्बीस लाख तेरह हजार एकान्चे रूपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-विपत्र कोड- 20-2210031100001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित रेफरल अस्पताल/प्राथमिक केन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के वेतन भत्ता तथा अन्य मद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

5. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

6. अहार/पथ्य, मशीने एवं उपस्कर, सामग्री एवं पूर्तियाँ, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले धार्य किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. संविदा सेवाएँ (28-02) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

12. आवंटित राशि से किए गए क्य में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के कम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।


14. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।

15. सामग्री एवं पूर्तियों मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

16. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

17. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,


  
(सच्चिदानंद चौधरी) 57/2/17  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 105(7)a

पटना, दिनांक : 05/12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी /सभी संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ सभी संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के विशेष सचिव 57/2/17

## विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में आवंटन (विपत्र कोड-20-221003110001)

क्रम	जिल. का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	दूरभाष (13-03)	विद्युत प्रसार (13-04)	विधि प्रसार (13-05)	वर्दी/ पोषक (13-06)	सामग्री एवं पूर्तियों (21-01)	दवा भंडार (21-02)	आहार/ पथ्य (21-03)	सविदा सेवाएँ (28-02)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सुपौल	160000	1952000	160000	16000	73600	3801600	10000	0	0	300000	0	0	0	1000000	0	1000000	6111600	1099/5.9.17
2	किशनगंज	2000000	2440000	200000	20000	92000	4752000	0	10000	0	200000	0	0	0	0	0	1000000	5962000	2113/9.10.17
3	जमुई	4000000	4880000	1600000	40000	184000	10704000	10000	10000	5000	300000	0	10000	0	500000	0	8000000	19539000	2451/22.9.17
4	रोहतास	900000	1098000	90000	9000	41400	2138400	10000	10000	0	0	0	0	50000	0	0	0	2208400	2526/1.11.17
5	लखीसराय	900000	1098000	90000	9000	41400	2138400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2138400	1354/6.11.17
6	बेतिया	3000000	3660000	1200000	30000	138000	8028000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	9528000	1909/6.10.17
7	नालन्दा	4000000	4880000	1600000	40000	184000	10704000	0	20000	0	0	0	0	0	2000000	0	8000000	20724000	3052/24.10.17
8	खगड़िया	800000	976000	80000	8000	36800	1900800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900800	2130/4.10.17
9	गोपालगंज	800000	976000	80000	8000	36800	1900800	5000	5000	0	99691	0	10000	0	0	0	0	2020491	2280/10.10.17
10	जहानाबाद	3500000	4270000	350000	35000	161000	8316000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8316000	2235/24.10.17
11	भागलपुर	700000	854000	70000	7000	32200	1663200	0	0	0	10000	0	0	0	0	2000000	5000000	8673200	3108/30.10.17
12	अररिया	600000	732000	60000	6000	27600	1425600	10000	10000	0	0	0	10000	50000	1000000	2000000	0	4505600	1276/6.9.17
13	छपरा(सारण)	2600000	3172000	260000	26000	119600	6177600	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	1000000	7677600	2202/8.11.17
14	नवादा	1500000	1830000	150000	15000	69000	3564000	0	0	0	0	0	0	800000	5000000	0	0	9364000	2376/7.9.17
15	बाँका	4000000	4880000	1600000	40000	184000	10704000	0	0	0	0	0	0	0	1000000	700000	0	12404000	2407/18.9.17
16	सिवान	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	30000	0	0	0	0	1500000	1540000	1404/9.11.17
	कुल	30900000	37698000	7590000	309000	1421400	77918400	45000	75000	5000	899691	40000	30000	900000	11000000	4700000	27000000	122613091	

(बारह करोड़ छब्बीस लाख तेरह हजार एकान्च) रू० मात्र

105(7)9  
05-12-17

सरकार के विशेष सचिव 5/2/17

## उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0001-01-01)	245000000	203550000	30900000	234450000	10550000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	304500000	248439000	37698000	286137000	18363000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	35000000	20535000	7590000	28125000	6875000
4	विकिर्सा भत्ता (0001-01-06)	2827000	2071500	309000	2380500	446500
5	अन्य भत्ता (0001-01-07)	11673000	9485700	1421400	10907100	765900
6	त्योहार अग्रिम (0001-01-08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.03.110.0001.01 वेतन	600000000	484081200	77918400	561999600	38000400
6	विकिर्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	1000000	25390	0	25390	974610
7	यात्रा व्यय (0001-11-01)	200000	152000	45000	197000	3000
8	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	750000	459000	75000	534000	216000
9	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	100000	62500	0	62500	37500
10	दूरभाष (0001-13-03)	3000000	1445000	5000	1450000	1550000
11	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	12000000	11100309	899691	12000000	0
12	विधि प्रभार (0001-13-05)	500000	441000	40000	481000	19000
13	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	593000	383000	30000	413000	180000
14	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	3500000	0	0	0	3500000
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	15000000	8020000	900000	8920000	6080000
16	दवा भंडार (0001-21-02)	143000000	113950000	11000000	124950000	18050000
17	आहार / पथ्य (0001-21-03)	20000000	14295000	4700000	18995000	1005000
18	अनुरक्षण एवं भरमत्त (0001-27-02)	1000	0	0	0	1000
19	संवित्ता सेवारत (0001-28-02)	200000000	131250000	27000000	158250000	41750000
20	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	9300000	5695000	0	5695000	3605000
	कुल योग:-	1008944000	771359399	122613091	893972490	114971510

105(7)A

05-12-17

सरकार के विशेष सचिव

5/12/17

(9)